



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 483]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 1, 2010/भाद्र 10, 1932

No. 483]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 1, 2010/BHADRA 10, 1932

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2010

सा.का.नि. 712(अ).—केन्द्रीय सरकार, मोटर स्पिरिट और हाईस्पीड डीजल (आपूर्ति, वितरण का विनियमन और अनाचार का निवारण) आदेश, 2005 के खण्ड 6 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i), तारीख 20 सितम्बर, 2006 में प्रकाशित भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 580(अ), तारीख 20 सितम्बर, 2006 को, उन बातों के सिवाए अधिकांश करते हुए जिन्हें, ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, केन्द्रीय सरकार यह निदेश देती है कि तेल विपणन कम्पनियों निम्नलिखित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देशों के अनुसार इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का विक्रय करेंगी, अर्थात् :—

क्र. सं.	राज्य
1.	आंध्र प्रदेश
2.	बिहार
3.	छत्तीसगढ़
4.	दिल्ली
5.	गोवा
6.	गुजरात
7.	हरियाणा
8.	हिमाचल प्रदेश
9.	झारखंड

क्र. सं.	राज्य
10.	कर्नाटक
11.	केरल
12.	महाराष्ट्र
13.	मध्य प्रदेश
14.	उड़ीसा
15.	पंजाब
16.	राजस्थान
17.	तमिलनाडु
18.	उत्तर प्रदेश
19.	उत्तराखंड
20.	पश्चिमी बंगाल

क्र. सं.	संघ राज्य क्षेत्र
1.	चंडीगढ़
2.	दादरा और नागर हवेली
3.	दमण और दीव
4.	पुडुचेरी

2. यह अधिसूचना 1 सितम्बर, 2010 से प्रवृत्त होगी।

3. केन्द्रीय सरकार, स्वतः या कार्यालय ज्ञापन सं. पी-32017/5/2007-सीसी (जिल्ड 5), तारीख 23 अगस्त, 2010 के अनुसरण में गठित कार्य समूह की सिफारिशों के आधार पर, तथ्यों पर सम्यक् विचार करने के पश्चात् आदेश द्वारा क्षेत्रों को उपांतरित कर सकेगी और क्रमशः राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में आपूर्ति किये जाने वाले इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल में इथेनॉल का प्रतिशत विहित कर सकेगी और उसके लिए अवधि विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

[फा. सं. पी-45018/01/2010-सी.सी.]

अपूर्व चंद्रा, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st September, 2010

**G.S.R. 712(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), read with clause 6 of the Motor Spirit and High Speed Diesel (Regulation of Supply, Distribution and Prevention of Malpractices) Order, 2005 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas number G.S.R. 580(E), dated the 20th September, 2006 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 20th September, 2006, except as respects things done or omitted to be done before such supersession the Central Government hereby directs that the oil marketing companies shall sell ethanol blended petrol as per the Bureau of Indian Standards specifications in the following States and Union Territories, namely :—

Sl. No.	States
1.	Andhra Pradesh
2.	Bihar
3.	Chhattisgarh
4.	Delhi
5.	Goa
6.	Gujarat
7.	Haryana
8.	Himachal Pradesh
9.	Jharkhand
10.	Karnataka
11.	Kerala

Sl. No.	States
12.	Maharashtra
13.	Madhya Pradesh
14.	Orissa
15.	Punjab
16.	Rajasthan
17.	Tamil Nadu
18.	Uttar Pradesh
19.	Uttarakhand
20.	West Bengal

  

Sl. No.	Union Territories
1.	Chandigarh
2.	Dadra and Nagar Haveli
3.	Daman and Diu
4.	Puducherry

2. This notification shall come into force with effect from the 1st September, 2010.

3. The Central Government may, suo motu or based on the recommendations of the Working Group constituted in pursuant of the OM No. P-32017/5/2007-CC (Vol. V), dated the 23rd August, 2010, after due consideration of facts, by an order modify the areas and prescribe the percentage of ethanol in ethanol blended petrol that may be supplied in the respective States or Union Territories and specify the period for the same.

[F. No. P-45018/01/2010-CC]

APURVA CHANDRA, Jt. Secy.